

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्थायी सड़ एक्जोजिशन आर्किट्स को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्थायी सड़ एक्जोजिशन आर्किट्स के पद पर नियुक्त रहें :—

क्रम-सं०	अधिकारों का नाम	जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	बनारस।
२	," प्रिलोक सिंह	फैजाबाद।
३	," फैजाब हुसेन	भांसी।
४	," बीनानाथ शर्मा	गोरखपुर।

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६२१/१-अ-०६-५५-सड़ एक्जोजिशन ऐक्ट, १८६४ (ऐक्ट संख्या १, १८६४) की धारा ३ के खंड (सी) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री कृष्णा सागर सिपाही, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस बीच में राज्य सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है। अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिवन्धनात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के सेक्टर ४ के निदेश इससे संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रस्थापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-सं०	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अंतर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का वर्णन
१	पंड डूक रोड, मोल ५६२/० से लेकर मोल ६६३/० तक	कानपुर	मी० फ० ७१ ० ०	जमीन की हदबन्दों पर या सीमेंट के स्तम्भों या लाइनों द्वारा उस स्थान पर की गई है।
२	कानपुर-कालपी सड़क, मोल ५२/० से लेकर मोल ६६/० तक	"	४४ ० ०	"
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मोल २/० से लेकर मोल ३९/० तक	"	३७ ० ०	"
४	मोहम्मदगल रोड, मोल ११६/० से मोल १७३/० तक	"	५४ ० ०	"
५	सखनऊ-कानपुर सड़क, मोल /० से लेकर मोल ४६/३-६४० फीट तक	सखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	"
६	सखनऊ-बरेली सड़क मोल /० से लेकर मोल १५२/० तक	सखनऊ, सीतापुर, बरेली	१५२ ० ०	"
७	सखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मोल /० से लेकर १०८/० तक	सखनऊ, रायबरेली	१०८ ० ०	"
८	सखनऊ-मुल्तापुर सड़क, मोल /० से लेकर मोल ८५/१-२२८ फीट तक	सखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी	८५ १ २२८	"
९	सखनऊ-फैजाबाद सड़क, मोल /० से लेकर मोल ७६/३-३६६ फी० तक	सखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद	७६ ३ ३६६	"

सम प्रभागीय वनाधिकारी
राम सनेहीघाट
बाराबंकी वन प्रभाग

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रंज हैदरगढ़

प्रभागीय निदेशक
सांवांवन प्रभाग
बाराबंकी

Scanned with CamScanner